बनाम ....

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी इटावा जिला कोटा

मि0न0— 13/2025

पीठासीन अधिकारीः— रामनिवास मेहता (RAS)

—: उनवान :—

चन्द्रप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR ACT 1956

—:निर्णयः—

दिनांकः16.05.2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी मुंगैना द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके नाम पर ग्राम मुंगैना प0ह0 विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता सं0 28 पर ख0न0 202, 203, 204, 205, 344, 346 कुल 5.96है0 भूमि दर्ज हैं। उक्त भूमि प्रार्थी को उसके दादा सरया जी ने वसीयत से दी थी। दिनांक 28.03.1993 को खोले गये इन्तकाल में चन्द्रप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल का ही नाम दर्ज किया गया था। सहवन से प्रार्थी के पिता का वर्तमान में नाम सरया दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि सरया जी प्रार्थी के दादाजी हैं। प्रार्थी को सरकारी योजना का लाभ आदि लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में पिता का नाम कन्हैयालाल हैं, तथा गलती से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सरया दर्ज है जिसे सरया के स्थान पर कन्हैयालाल सही करा जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर जवाब सरकार तलब किया गया। जवाब सरकार में तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राजस्व अभिलेख, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम सही होना तथा प्रार्थी के पिता का नाम सरया के स्थान पर कन्हैयालाल सही करने का इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर नाम दुरूस्ती की अभिशंषा की गई।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी के सगे भाई दौलतराम पुत्र कन्हैयालाल तथा परमानन्द पुत्र रामनारायण मीणा निवासी मुंगैना मय आधार कार्ड नं0 4374—5353—5143 व 8028—6464—2120 पेश कियें।

इसके अलावा प्रार्थी के पिता का आधार कार्ड 4347—0646—4541, स्वयं का आधार कार्ड नं0 9407—4869—0248, फोटो पहचान पत्र सं0 WAR—0518431 सन् 2012 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा, नकल जमाबंदी ग्राम मुंगैना खाता नं0 28 नकल

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

.... बनाम ....

नामान्तरण ग्राम मुंगैना नं0 104 सन् 1993, राशन कार्ड ग्राम मुंगैना ग्राम पचायत विनायका आदि प्रस्तुत किये हैं।

प्रकरण में भूमि संख्या पुत्र हरिलाल मीणा के नाम दर्ज थी जिसको जरिये वसीयत चन्द्रप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल तथा पारवती पत्नि सरया के नाम जरिये इन्तकाल नम्बर 104 वाके माल मोजा मुंगैना सन् 1983 में दर्ज किया गया था। जिससे स्पष्टतः प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैयालाल दर्ज था। प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड में कन्हैयालाल के पिता का नाम सरया दर्ज हैं। प्रार्थी का भाई एवं स्वतंत्र गवाह भी इस बात की ताईद करते हैं।

राजस्व अभिलेख एवं अन्य राजकीय दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैयालाल ही दर्ज किया गया था जिसे बाद में कन्हैयालाल के स्थान पर सरया दर्ज कर दिया गया। सरया प्रार्थी के पिता ना होकर प्रार्थी के पिता के पिता अर्थात दादाजी हैं।

राजस्व अभिलेख में यह त्रुटि राजस्थान भू0अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 150 से 155 की पालना समुचित तरीके से नही किये जाने से होना प्रतीत होता हैं।

प्रकरण के आधोपान्त अवलोकन एवं मनन उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम मुंगैना की भूमि ख0न0 202, 203, 204, 205, 344, 346 किता 6 रकबा 5.75है0 भूमि पर प्रार्थी चन्द्रप्रकाश के पिता का नाम सरया के स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज किया जावे। शेष अंकन यथावत रहे। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली बाद तामील तकमीम व तरमीम फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Ramniwas
(रामनिवास मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा